



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072020-220535
CG-DL-E-15072020-220535

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2065]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2020/ आषाढ़ 24, 1942

No. 2065]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2020/ASADHA 24, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2020

का. आ. 2342(आ).— यतः केंद्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3559(अ), तारीख 07.11.2017 के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361 को(रारा-52 पर तुलजापुर से आरंभ होते हुए लातूर, अहमदपुर, नांदेड, यवतमाल, वर्धा को जोड़ते हुए और बूटीबोरी के निकट रारा- 44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्ति तक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः , केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात " नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361 के महागांव से यवतमाल सेक्शन के डिजाइन चैनेज किलोमीटर 320.580 कि.मी. से 400.575 कि.मी तक सड़क खंड की निवल लंबाई 71.85 कि.मी और समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) 1.650 कि.मी. (समकक्ष लंबाई 0.165 किमी) हेतु यांत्रिक वाहनोपर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर और बाइपासों जिनकी लम्बाई 7.98 कि.मी. और लागत दस करोड़ रु. या अधिक है पर आधार दर के डेढ़ गुना से नीचे सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्घोषित करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई.) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (धुरी वाल सात या अधिक)	4.20

1. नीचे उद्धृति एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात्;

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई शुल्क (किलोमीटर में) जिसके लिए है संदेय	दर जिस पर शुल्क संदेय है
यवतमाल जिले मेंभांव गांव के निकटरारा-361 के 382.920 कि.मी. डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 167.658 कि.मी.)पर	71.85 (10 करोड़ रुपए से अधिक लागत के बाइपास की लंबाई को छोड़कर और 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %

- 2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाईपास, जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान(चैनेज)	बाइपास का नाम	पर शुरू हो कर	पर मिलते हुए	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लम्बाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रुपए में)	
यवतमाल जिले मेंभांव गांव के निकटरारा-361 के 382.920	रारा-361 का हिवरासंगम बाईपास	330.150 कि.मी.	332.000 कि.मी.	1.850	26.84	ऊपर सारणी 1- में उल्लिखित आधार दरों का %150(
	रारा-361 का ज्वाला बाईपास	369.450 कि.मी.	371.800 कि.मी.	2.350	34.10	

कि.मी. डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 167.658 कि.मी.)पर	रारा-361 का मंगरूल बाईपास	376.280 कि.मी.	378.430कि.मी.	2.150	31.19	अर्थात् आधार दरों के 100% का डेढ़ गुणा)
	रारा-361 का हिवरी बाईपास	385.550 कि.मी.	387.180 कि.मी.	1.630	23.65	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा कर के राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्द और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं* की लम्बाई .मी.कि)में(	सड़क की समकक्ष लम्बाई (में .मी.कि)	दर जिसपर शुल्क संदेय है
यवतमाल जिले में भांब गांव के निकट रारा-361 के 382.920 कि.मी.डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 167.658 कि.मी.)पर	0.165	1.650	उपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल लंबाई	0.165	1.650	

*60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का व्यौरा निम्नलिखित है:

60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचना			
क्रम सं.	संरचना का अवस्थान(चैनेजकि(मी.	संरचना का प्रकार	कुल लंबाई (किमी. में)
1	360.413	बड़ा पुल	0.075
2	375.962	बड़ा पुल	0.090
कुल			0.165

6. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00/- रूपए (दो सौपचहत्तररूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का **50%** होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम 1ए में विनिर्दिष्ट के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष **2007-08** के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना के पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 1160.64 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर **40%** कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा.सं.NHAI/13013/680/CO/19-20/GC MahagaonYavatmal Section (PKG-II)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2020

S.O. 2342(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 3559(E) dated 07th November, 2017 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the National Highway No. 361 (The

highway starting from Tuljapur on NH-52 connecting Latur, Ahamadpur, Nanded, Yavatmal, Wardha and terminating at its junction with NH-44 near ButiBori) in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “said Rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rates specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 71.85 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 1.650 km (having length of 0.165 km) and at one and one half times the base rates for bypasses having length of 7.98 Km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of Table-1 below of Mahagaon to Yavatmal section from design chainage km 320.580 to km 400.575 of National Highway number 361 in the State of Maharashtra and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely:-

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 382.920, design chainage (existing chainage at km 167.658) near village Bhamb in Yavatmal district of NH-361	71.85 [Excluding length of Bypass (costing > 10 Cr.) and length of structures (> 60m)]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:-

Table-3

Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)

At km 382.920, design chainage (existing chainage at km 167.658) near village Bhamb in Yavatmal district of NH-361	Hivrasangam Bypass of NH361	Km 330.150	Km 332.000	1.850	26.84	150% of the base rates (i.e. 1.5 times of 100% of the base rates) mentioned in Table-1 above
	Jawla Bypass of NH-361	km 369.450	km 371.800	2.350	34.10	
	Mangrul Bypass of NH361	km 376.280	km 378.430	2.150	31.19	
	Hivri Bypass of NH-361	Km 385.550	387.180	1.630	23.65	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 382.920, design chainage (existing chainage at km 167.658) near village Bhamb in Yavatmal district of NH-361	0.165 km	1.650	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Total length	0.165	1.650	

*Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Structure having length more than 60 m		
	Location of Structure (Chainage Km.)	Type of Structure	Length (Km.)
1	360.413	Major Bridge	0.075
2	375.962	Major Bridge	0.090
Total			0.165

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 275.00 (Rupees Two Hundred Seventy Five only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fees specified in sub-rule 1A of rule 10 of said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1160.64 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F.No. NHAI/13013/680/CO/19-20/GC MahagaonYavatmal Section (PKG-II)]
PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.